भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1075

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पालना योजना

1075. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में पालना योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित शिशु गृहों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में शिशु गृह सुविधाओं की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण/आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2022 को आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (पालना) की शुरुआत की, ताकि रोज़गार की स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी माताओं के बच्चों (06 महीने - 06 वर्ष की आयु) को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में डे केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसके साथ ही, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों का स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा आदि जैसी सुविधाएं

प्रदान की जा सकें। आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल और सहायता के लिए समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्था हैं, जो देखभाल से जुड़ी सुविधाएं अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाते हैं।

पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित किया जाता है; जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की आवश्यकता का आकलन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है तथा प्रस्तावों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। **दिनांक 31.03.2026 तक महाराष्ट्र में 345 आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी)** अनुमोदित किए गए हैं। महाराष्ट्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कोई भी एडब्ल्यूसीसी कार्यशील नहीं है। वर्तमान में देशभर में कुल 4,172 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) कार्यशील हैं, जिनसे लगभग 43,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।
